

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्र. 89]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 मार्च 2023—फाल्गुन 23, शक 1944

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च, 2023

क्र. एफ 6-5-0001-2023-अड़तीस-3--: राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के कार्यकलापों एवं कुप्रबंध के संबंध में उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट तथा सामग्री के आधार पर राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है जिसमें उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक-22 सन् 1973) के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किये बिना नहीं चलाया जा सकता है और विश्वविद्यालय के हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक-22 सन् 1973) की धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों के अधधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 20 से 25, 40, 47, 48, 54 और 67 के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 14 मार्च, 2023 से लागू होंगे.

No. F 6-5-0001-2023-XXXVIII-3 :: WHEREAS on the basis of a report and material which has been made available regarding mismanagement of affairs of the Raja Shankar shah University, Chhindwara, the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the said University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhinyam, 1973 (No. 22 of 1973) without detriment to the interest of the University and it is expedient in the interest of the University so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 52 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhinyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby, directs that the Provisions of Section 13, 14, 20, to 25, 40, 47, 48, 54 and 67 of the said Act shall apply to the said University from 14th March, 2023 Subject to the modifications specified in the Third Schedule of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के.सी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव.